महत्वपूर्ण एवं खास

नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 31 मई तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। नवोदय विद्यालय समिति के निर्देशानुसार जवाहर नवोदय विद्यालय, भूपदेवपुर, जिला-रायगढ़ में सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 11 वीं के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा के माध्यम से पूर्ण किया जाना है जिस हेतु 31 मई 2023 तक आवेदन पत्र नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाईट www.navodaya.gov.in में अपलोड कर सकते है। परीक्षा तिथि 22 जुलाई 2023 निर्धारित है। इसके लिए जिले के शासकीय/शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय से सत्र 2022-23 में कक्षा 10 वीं की परीक्षा में सम्मिलित /उत्तीर्ण छात्र प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र है। छात्र की जन्म तिथि 01.06.2006 से 31.07.2008 (दोनों दिन मिलाकर)के मध्य होनी चाहिए। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाईट एवं विद्यालय की वेबसाईट https://www.navodaya.gov.in/nvs-school/RAIGARH/en/home/ में देख सकते है।

प्लेसमेंट एवं अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन 18 मई को खरसिया में

रायगढ़। योग्य अभ्यर्थियों/युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन/नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार 18 मई 2023 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खरसिया में प्रात:10 बजे से प्लेसमेंट एवं अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें मे.जेएसडब्लू स्टील नहरपाली खरसिया में फिटर, विद्युतकार, वेल्डर एवं कोपा के रिक्त 5-5 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी तरह मे.जिंदल स्टील एवं पावर एसएसडी पूंजीपथरा रायगढ़ में वेल्डर में 15 एवं मशीनिष्ट में 5 पद, मे.एमएसपी स्टील एंड पॉवर लिमिटेड जामगांव रायगढ़ में फिटर में 15 एवं विद्युतकार में एक पद तथा मे.रूकमणी पॉवर खरसिया में फिटर एवं विद्युतकार में एक-एक पद पर भर्ती की जाएगी। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खरसिया रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

सौर संयंत्रों के अकार्यशील होने पर टोल फ्री नंबर 18001234591 पर दें सूचना

रायगढ़। जिला रायगढ़ अंतर्गत क्रेडा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में वृहद संख्याओं में सौर संयंत्रों के स्थापना का कार्य किया गया है, उक्त सौर संयंत्रों के अकार्यशील हो जाने पर समय-समय पर इसकी सूचना क्रेडा कार्यालय को प्राप्त न होने पाने से संयंत्रों को पुन: कार्यशील करने में अपेक्षाकृत अधिक समय व्यतीत हो जाता है, जिसके कारण अनावश्यक संबंधित लाभार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला प्रभारी क्रेडा रायगढ़ रंजीत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सौर संयंत्रों के अकार्यशील हो जाने पर क्रेडा के टोल फ्री नंबर 18001234591 में कार्यालयीन दिवस व समय (सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक)संपर्क कर सकते है। ताकि अकार्यशील सौर संयंत्रों को पुन: कार्यशील कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही जा सके एवं संबंधितों को इसका लाभ मिल सके।

प्रीबीएड,प्रीडीएलएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 मई तक

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर के द्वारा प्रीबीएड,प्रीडीएलएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 मई 2023 तक आमंत्रित किया गया। आवेदन 13 मई से प्रारंभ हो चुकी है। त्रुटि सुधार 29 मई से 31 मई 2023 तक किया जा सकता है। प्रीबीएड,प्रीडीएलएड, परीक्षा की संभावित तिथि 17 जून 2023 है। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 09 जून 2023 है। इसी प्रकार बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स के लिए परीक्षा की संभावित तिथि 24 जून 2023 है। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 16 जून 2023 है।

कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने जनदर्शन में लोगों की मांग-शिकायत सुनीं

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने कलेक्टोरेट कक्ष में लोगों की मांग-शिकायत सुनीं। जनदर्शन कार्यक्रम में एपीएल से अन्त्योदय राशन कार्ड बनाने, पशु शेड निर्माण, वनाधिकार पत्र, अवैध वृक्ष कटाई, पैतृक संपत्ति बंटवारा, निलंबन अवधि का भत्ता दिलाने, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि दिलाने, अवैध बेजा कब्जा हटाने, अभिलेख दुरूस्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और कोटवार की शिकायत, अवैध मकान निर्माण, निराश्रित पेंशन, डूबान क्षेत्र में निजी कृषि भूमि और फसल का मुआवजा के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए।

चोरी की बाइक बेचने की फिराक में घूम रहे दो शातिर चोर आए जूटमिल पुलिस के हाथ, आरोपियों से चोरी की 9 दुपहिया बरामद

❑ आरोपियों ने शहर के अलग-अलग स्थानों से चुराए मोटर सायकल और छिपा रखे थे खंडहरनुमा फैक्ट्री पर

रायगढ़। एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन पर संपत्ति संबंधी अपराधों में माल मुल्जिम पतासाजी के क्रम में थाना प्रभारियों द्वारा सूचना संकलन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप आज थानाक्षेत्र में चोरी की बाइक बेचने की फिराह में ग्राहक तलाश रहे दो फुफेरे भाईयों को जूटमिल पुलिस द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के पास पकड़ा है। थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक राम किंकर यादव को उनके सक्रिय मुखबिर द्वारा आज सुबह दो लड़कों के ट्रांसपोर्ट नगर के पास बाइक बेचने लोगों से कम दाम में बाइक बेचने चर्चा करने एवं दोनों लड़कों के संदिग्ध होने के संबंध में सूचना दिया गया। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा थाने के पेट्रोलिंग को तस्दीक करने कहा गया जिनके द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर पर एक सीडी डीलक्स बाइक के साथ दो संदिग्ध लड़को को पकड़ा गया जो अपना नाम आकाश सारथी निवासी जोगीडिपा तथा गजेंद्र सारथी निवासी घरघोड़ा का रहने वाला बताये जो बाइक को स्वयं का होना बताये। पुलिस स्टाफ द्वारा बाइक के कागजात पेश करने कहने पर कोई कागजात नहीं होना बताये, जूटमिल पुलिस द्वारा संदिग्ध लड़कों से अलग-अलग पूछताछ करने पर बाइक को चोरी का होना बताते हुये बताये कि दोनों फुफेरे भाई है करीब डेढ वर्ष पूर्व से रायगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल की चोरी कर रहे हैं। आरोपियों के पास मौके पर मिली सीडी डीलक्स बाइक को आरोपियों ने किरोड़ीमल नगर से चोरी करना बताया जिसे उपयोग कर बाइक को बिक्री के लिए ग्राहक तलाश करना बताये। आरोपियों द्वारा चोरी की 08 और बाइक को गढउमरिया खंडहरनुमा सीमेंट फैक्ट्री में छिपाकर रखना बताये। आरोपियों के मेमोरेंडम पर 09 दुपहिया वाहन जिसमें (1) बिना नंबर सीडी डीलक्स (2) सीडी डॉन सीजी 12 के 1714 (3) बजाज सिटी 100 सीजज 13 एसी 0686 (4) होंडा एक्टिवा सीजी 13 एक्स 6234 (5) बिना नंबर हीरो ग्लैमर (6) बिना नंबर एचएफ डीलक्स (7) बिना नंबर होण्डा साइन (8) बजाज पल्सर 220 सीजी 13 ए.ई. 4376 (9) होण्डा ड्रीम युगा सीजी 13 एक्स 4529 कुल कीमत रु.123000 की चोरी की बाइक बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपियों के कृत्य पर थाना जूटमिल में धारा 41(1+4) CrPC/379 IPC के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एडिशनल एसपी संजय महादेवा एवं सीएसपी अभिनव उपाध्याय के सतत मार्गदर्शन पर आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी तथा चोरी की बाइक बरामदगी की कार्यवाही में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक राम किंकर यादव, प्रधान आरक्षक विरेन्द्र भगत, आरक्षक बनारसी सिदार, शशि भूषण साहू तथा लखेश्वर पुरसेठ की अहम भूमिका रही है।

गिरफ्तार आरोपी- (1) आकाश सारथी पिता बमबहादुर सारथी उम्र 24 साल निवासी केवड़ा बाड़ी बस स्टैंड जोगीडीपा पुल के पास थाना कोतवाली रायगढ़ (2) गजेंद्र सारथी पिता लक्ष्मीनारायण सारथी उम्र 18.8 साल निवासी बैहामुड़ा फोकटपारा पानी टंकी के पास घरघोड़ा थाना घरघोड़ा जिला रायगढ़

राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को : डेंगू फीवर के रोकथाम एवं बचाव हेतु जनसामान्य को किया जाएगा जागरूक

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई 2023 को मनाया जाएगा। जिसके तहत रायगढ़ जिले के प्रत्येक विकास खंड में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर प्रचार-प्रसार करते हुए डेंगू फीवर के रोकथाम एवं बचाव हेतु जनसामान्य को जागरूक किया जाएगा। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ.टी.जी. कुलवेदी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार डेंगू से रोकथाम एवं बचाव हेतु समय पूर्व पूर्ण रूप से तैयारी कर ली जाये ताकि किसी भी प्रकार की भयावह स्थिति निर्मित न होने पाये। उन्होंने बताया कि एडिज मच्छर काटने से डेंगू फीवर होता है। यह एक प्रकार का डेन वायरस की वजह से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की शरीर में पहुँच कर पीड़ित कर देता है। डेंगू फीवर में आम जनता को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नही है। गंभीर अवस्था में व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्रो में भर्ती की आवश्कता होती है। डेंगू वायरस की वजह से मुँह, नाक, मसूड़ों से खून आना प्रारंभ हो जाता है। शरीर में लाल चकते दिखने शुरू हो जाते है। जिससे डेंगू हैमरेजिक फीवर होने की स्थिति निर्मित हो जाती है। और शॉक में कन्वर्ट हो जाने के वजह से डेंगू शॉक सिण्ड्रोम जैसी अवस्था आने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिये घर में पानी का जमाव न होने दें। तथा पानी जमाव वाली जगह को नष्ट करें। पानी टंकी एवं पानी से भरे पात्रो को ढ़क कर रखे। मच्छरदानी का प्रयोग व पूरे बाजू वाले कपड़े पहने और आस-पास साफ -सफाई व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने आप और परिवार को सुरक्षित रखे जिससे डेंगू की बीमारी से बचा जा सकें।

सूने मकान में चोरी : रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर चक्रधरनगर पुलिस ने नाबालिग समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

❑ आरोपियों से मकान में चोरी की गई सारे समानों के साथ चोरी की 2 बाइक भी बरामद

रायगढ़। थाना चक्रधर नगर में लोचन नगर LIG में रहने वाले शैलेश अग्रवाल (58 साल) द्वारा उनके टीवी टावर हाउसिंग बोर्ड के पीछे छोटे अतरमूड़ा स्थित बंद मकान का दरवाजा तोड़कर अज्ञात आरोपियों द्वारा घर अंदर रखे HP के 03 नग गैस सिलेण्डर, कांसा का 04-05 नग बर्तन, पीतल का 02-03 नग बर्तन, पानी का 03-04 हण्डा और नगदी रकम रु.5,000 की चोरी कर ले जाना बताये , चोरी की रिपोर्ट पर थाना चक्रधर नगर में अज्ञात आरोपियों पर नकबजनी का अपराध क्रमांक 244/2023 धारा 457,380 आईपीसी दर्ज कर चक्रधरनगर पुलिस माल मुलजिम की पतासाजी में जुट गई।

थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन और महत्वपूर्ण निर्देशों पर थाने के सभी विवेचकों को मुखबिरों से जानकारी लेकर शीघ्र माल मुलजिम पतासाजी का निर्देश दिया गया। शीघ्र चक्रधर नगर पुलिस द्वारा ह्यूमन हिंट के आधार पर स्थानीय तीन लड़के प्रभात राय, शिव सारथी और उनके एक नाबालिक साथी को हिरासत में ली। प्रारंभिक पूछताछ पर तीनों संदेही अपराध से मुकर रहे थे जिन्हें पुलिस स्टाफ द्वारा अलग-अलग पूछताछ करने पर तीनों के अलग-अलग बयान थे जिसके बाद उनसे कड़ी पूछताछ करने पर तीनों ने 07 मई की रात छोटे अतरमुड़ा में सूने मकान में चोरी करना और 2 महीने पहले इतवारी बाजार से दो बाइक चोरी कर छुपाकर रखना बताए।

आरोपियों ने बताया कि वे मजदूरी का काम करते हैं, अपने बेफिजूल खर्चे के लिये 07 मई के रात करीब 11:00 बजे तीनों एक साथ मिलकर लोहा चोरी के इरादे से छोटे अतरमुड़ा, टीवी टावर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे घूमे। इस दौरान छोटे अतरमुड़ा के एक सूने मकान को देखकर अंदर घुसे, जहां से गैस सिलेंडर, कांस और पीतल के बर्तन, पानी रखने का हंडा चोरी किए और सभी आपस में बांट लिए थे।

आरोपियों से जब अन्य चोरियों के संबंध में कड़ी पूछताछ किया गया तो आरोपियों ने बताया कि तीनों मिलकर 2 महीने पहले इतवारी बाजार रायगढ़ से दो मोटरसाइकिल एक डिस्कवर लाल रंग की OR 14 M- 8221 तथा एक बिना नंबर लाल कलर का प्लेटिना की चोरी किए थे। इन मोटरसाइकिलों को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे पर बेच नहीं पाए थे। आरोपियों के कब्जे से सूने मकान से चोरी सारे सामनों के अलावा 02 मोटर सायकल की जब्ती की गई है इस प्रकार दोनों अपराधियों में चक्रधर नगर पुलिस द्वारा आरोपियों से सवा लाख रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति जप्त किया गया है। आरोपियों पर पृथक से पृथक से इस्तगासा धारा 41(1+4) CrPC/379 IPC के तहत कार्यवाही किया गया है। अपचारी बालक समेत तीनों आरोपियों को दोनों अपराधों में गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय पेश किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी एवं सिटी एसपी अभिनव उपाध्याय के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन पर माल मुल्जिम की पतासाजी में थाना प्रभारी चक्रधर नगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश सोन, आरक्षक चंद्र कुमार बंजारे और अभय यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

फरार वारंटियों के विरूद्ध खरसिया पुलिस ने चलाया अभियान, लंबे समय से फरार 6 स्थई और 3 गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ा

❑ पुलिस चौकी खरसिया की कार्यवाही में सप्ताह के भीतर 15 स्थाई वारंटी गए जेल

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर फरार आरोपियों एवं वारंटियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान को लेकर चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर द्वारा एडिशनल एसपी संजय महादेवा तथा एसडीओपी खरसिया निमिषा पाण्डेय के मार्गदर्शन पर पिछले एक सप्ताह से अभियान चलाकर कार्यवाही किया जा रहा है।

विगत एक सप्ताह के भीतर चौकी खरसिया पुलिस ने 15 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। कल चौकी प्रभारी खरसिया के हमराह स्टाफ द्वारा क्षेत्र के 06 फरार स्थायी वारंटी तथा 03 गिरफ्तारी वारंटियों को अलग-अलग स्थानों में दबिश देकर पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक खरसिया पुलिस को उनके क्षेत्र के कई वारंटियों के रायगढ़ में लुक छिप कर रहने की मुखबिर से जानकारी मिली थी जिस पर पर एसडीओपी निमिषा पाण्डेय द्वारा तत्काल पुलिस टीम तैयार कर रायगढ़ छापेमारी के लिये रवाना किया गया जिसमें 06 स्थायी वारंटी पकड़े गये। वहीं जेएमएफसी न्यायालय से नकबजनी के दो एवं पुलिस अभिरक्षा से फरार मामले में आरोपियों को जारी गिरफ्तारी वारंट के परिपालन में सक्ती एवं खरसिया क्षेत्र से पुलिस टीम ने 03 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार कर स्थायी वारंटियों समेत न्यायालय पेश किया गया है, जिन्हें न्यायालय से जारी जेल वारंट के पालन में वारंटियों को जिला जेल रायगढ़ दाखिल किया गया है। वारंटियों की धरपकड़ कार्यवाही में चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर, एएसआई पृथ्वी राज मोहंती, प्रधान आरक्षक शंकर क्षत्रिय, अशोक देवांगन, संतोष सिंगसरिया, आरक्षक कीर्ति सिदार, मुकेश यादव, साविल चन्द्रा, सोहन यादव, डमरूधर पटेल, त्रिभुवन सिदार, भूपेन्द्र राठौर की प्रमुख भूमिका रही है।

वहीं कोतरारोड़ पुलिस द्वारा आज आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी योगेश सारथी निवासी सांगीतराई जूटमिल पर जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

स्थायी वारंटी- (1) बलजिंदर सिंह सरदार पिता मलकीत सिंह 26 साल बाईपास रोड बाबा धाम के पास सरवन ढाबा के पीछे सिटी कोतवाली रायगढ़,

(2) भोलू उर्फ बिरजू यादव पिता स्वर्गीय फागुलाल यादव उम्र 25 साल निवासी गंज पीछे खरसिया,

(3) लल्ला और अजीत जोगी पिता स्वर्गीय राम सिंह 25 साल दरोगापारा जैन मंदिर के पास थाना सिटी कोतवाली रायगढ़

(4) सन्नी उर्फ संदीप सिंह सरदार पिता गुरदीप सिंह उम्र 23 साल निवासी जैन मंदिर के पास दरोगापारा थाना सिटी कोतवाली रायगढ़,

(5) संदीप शर्मा पिता स्वर्गीय रामनिवास उम्र 32 साल निवासी अग्रसेन कॉलोनी बूढ़ी माई मंदिर गली थाना सिटी कोतवाली रायगढ़

गिरफ्तारी वारंटी- (1) शिवा सहित उर्फ सय्यद पिता स्वर्गीय वीरेंद्र सहित उम्र 21 साल निवासी अटल आवास चौकी खरसिया जिला रायगढ़ (2) मनोज अग्रवाल पिता श्याम सुंदर अग्रवाल उम्र 46 साल निवासी सरला विला फर्स्ट फ्लोर क्वार्टर नंबर 04 थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ (3) विधि के साथ संघर्षरत बालक जिला सक्ती, छत्तीसगढ़

जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर मिलेट्स कार्यशाला का होगा आयोजन

❑ लघु धान्य फसलों के उन्नत तकनीक एवं उच्च गुणवत्ता के फसल उत्पाद के संबंध में दी जाएगी जानकारी

रायगढ़। आगामी खरीफ वर्ष 2023 में लघु धान्य फसलों के उन्नत तकनीकों के प्रचार-प्रसार एवं उच्च गुणवत्ता के फसल उत्पादन हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर अलग-अलग तिथियों में मिलेट्स कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत 17 मई को कार्यालय व.कृ.वि.अधिकारी, रायगढ़ एवं पुसौर में कार्यशाला का आयोजन होगा। इसी तरह 19 मई को कार्यालय व.कृ.वि.अधिकारी खरसिया, 22 मई को कार्यालय व.कृ.वि.अधिकारी तमनार एवं कार्यालय व.कृ.वि.अधिकारी घरघोड़ा, 24 मई को कार्यालय व.कृ.वि.अधिकारी धरमजयगढ़, 25 मई को कार्यालय उप संचालक कृषि सभागार एवं 26 मई को कार्यालय व.कृ.वि.अधिकारी लैलूंगा में कार्यशाला का आयोजन होगा। इस दौरान डॉ.एन.सी.बंजारे, के.डी.महंत, के.के.पैकरा, डॉ.बी.एस.राजपूत, डॉ.श्रीमती मनीषा चौधरी प्रशिक्षक/वैज्ञानिक उपस्थित रहेंगे।

18 मई को हाटी में होगा वृहद समाधान शिविर : विभागीय योजनाओं की मिलेगी जानकारी, हितग्राही होंगे लाभान्वित

❑ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहा सर्वे

❑ समाधान शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर भी रहेंगे उपस्थित, मेडिकल बोर्ड के माध्यम से बनेगा दिव्यांग सर्टिफिकेट

रायगढ़। जिले के दूरस्थ अंचलों के लोगों को विभागीय योजनाओं के लाभ प्रदान करने के साथ ही उनके विभिन्न समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में आगामी 18 मई को विकासखण्ड धरमजयगढ़ के ग्राम-हाटी में वृहद समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए स्थानीय स्तर पर ही कार्यवाही करेंगे। समाधान शिविर में राजस्व, राशन कार्ड, निराश्रित पेंशन, पंचायतों के विकास कार्य, दिव्यांग पत्र, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, जाति, निवास, आय प्रमाण-पत्र सहित हर विभागों से जुड़े आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। जिसके लिए कलेक्टर निर्देशन में विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे कार्य किया जा रहा है। ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।

समाधान शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। जिनके माध्यम से स्वास्थ्य जांच भी किया जाएगा। जिसमें जनरल मेडिसीन प्रदान के साथ संभावित दवाईयां उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अलावा मरीजों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। शिविर में दिव्यांगों के प्रमाणीकरण के लिए मेडिकल बोर्ड उपस्थित रहेंगे। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवा प्रदान की जाएगी एवं जांच के माध्यम से रेफर करने लायक मरीजों की पहचान की जाएगी, ताकि उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके।

आयोजित शिविर में राजस्व विभाग अंतर्गत फौती नामांतरण, आपसी बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व से जुड़े विभिन्न कार्यो का निराकरण किया जाएगा। इसी तरह जिला पंचायत अंतर्गत राशन कार्ड, पेंशन वितरण, खाद्य विभाग अंतर्गत नवीन राशन कार्ड के लिए आवेदन, राशन कार्ड में नवीन सदस्य का नाम जोडऩा, 60 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष से कम का नामिनी लेने के लिए सर्वे एवं पीडीएस-भंडारण वितरण की जानकारी दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत स्वास्थ्य जांच कराकर, कुपोषित बच्चों को नि:शुल्क दवाई वितरण, छत्तीसगढ़ महिला कोष से महिला स्व-सहायता समूह को ऋण स्वीकृति, ऋण माफी प्रमाण-पत्र के वितरण के साथ अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा सायबर अपराध, विधिक एवं यातायात जागरूकता तथा अन्य विभागीय शिकायत संबंधी आवेदन एवं जानकारी प्रदाय की जाएगी। क्रेडा विभाग द्वारा जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत स्थापित सौर संयंत्रों के मरम्मत व रखरखाव कार्य की जानकारी दी जाएगी। पशुधन विकास विभाग, श्रम एवं उद्यान विभाग भी अपने विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देंगे। जिला अंत्यावसायी के तहत अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजनान्तर्गत (अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग) के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी तरह मछली पालन विभाग विभाग द्वारा मत्स्य पालकों के मांग अनुसार महाजाल का वितरण किया जाएगा एवं चयनित मत्स्य पालक/विक्रेताओं को आईस बाक्स वितरण किया जाएगा। साथ ही रिक्त ग्रामीण तालाबों के पट्टा आबंटन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत प्रस्ताव अनुसार की जाएगी। स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त किए जायेंगे। कृषि विभाग अंतर्गत कृषकों से कृषि कार्य से संबंधित (बीज, कृषि यंत्र, नलकूप खनन, स्प्रिंकलर सेट, स्प्रेयर आदि)का आवेदन एवं मांग प्राप्त किये जायेंगे। विभागीय उन्नत कृषि तकनीकी की जानकारी प्रदाय की जाएगी, कृषि कार्य हेतु वर्मी कम्पोस्ट का मांग प्राप्त एवं वितरण की कार्यवाही की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन समाधान शिविर में तैयार किया जाएगा, कृषकों का अउर्जीकृत पम्प को उर्जीकृत करने हेतु आवेदन पत्र तैयार किया जाएगा। छ.ग.वि.वि.कं.मर्यादित द्वारा बढ़े हुए बिजली बिल में सुधार कार्य, ग्रामवार बढ़े बिजली बिल की शिकायतों का निराकरण, नये विद्युत कनेक्शनों को तुरंत कनेक्शन देना, विद्युत पोल, तार संबंधी मरम्मत कार्यो का त्वरित किया जाना, कनेक्शन में नाम सुधार, परिवर्तन कर आवेदनों का निराकरण करना एवं नवीन कनेक्शन प्रदाय किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा कलस्टर अंतर्गत जर्जर, अतिरिक्त कक्ष मरम्मत योग्य भवनों के निर्माण की स्वीकृति, विद्यार्थियों के जाति, निवास, आय प्रमाण-पत्र का वितरण, फार्म तहसील में जमा करना एवं गंभीर रूप से बीमार बच्चों की जानकारी ली जाएगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले सहायक उपकरण मोट्राईज्ड ट्रायसायकल, व्हीलचेयर ट्रायसायकल, बैसाखी, श्रवण यंत्र इत्यादि एवं अन्य सुविधा, पेंशन से संबंधित शिकायतों का निराकरण एवं नवीन पेंशन के आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480